रक्षा विभाग की भूमि को कुम्भ मेला/महाकुम्भ मेला/माघ मेले के आयोजन के लिए जनहित में प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2022 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज के समस्त अधिकारियों द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा सामान्य प्रशासन विभाग एवं राजस्व विभाग के शासन स्तर के अधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के सभाकक्ष में प्रतिभाग किया गया।

2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 20.01.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 10.01.1963 द्वारा भारत के राष्ट्रपति ने 518.182 एकड़ रक्षा भूमि माघ मेला एवं कुम्भ मेला को दिए जाने का निर्णय लिया गया था, उक्त भूमि का आवंटन हाल ही में किया गया है। 14 नवम्बर, 2019 को 3723 sqm A-2 भूमि के नियमितीकरण का जिलाधिकारी प्रयागराज का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के माध्यम से सेना मुख्यालय से प्राप्त हुआ। 14 नवम्बर, 2019 को सेना मुख्यालय ने पूरी 518.182 एकड़ भूमि को 'as is where is basis' पर Lease/ Equal Value Land/ Equal Value Infrastructure के आधार पर दिए जाने की संस्तुति की है। उक्त प्रकरण के संबंध में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है कि इस विषय पर एक सुविचारित आख्या प्रस्तुत की जाय। उक्त के क्रम में समुचित निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आहूत की गयी ।

3. मेला अवधि में प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रयागराज द्वारा रक्षा भूमि व कृषक भूमि अस्थायी रूप से ली जाती है, जिसका प्रतिकर भुगतान किया जाता है।

कुम्भ मेला 2019 के सफल आयोजन के उपरान्त तत्समय उत्पन्न परिस्थिति के आलोक में सर्वप्रथम तत्कालीन मण्डलायुक्त, प्रयागराज द्वारा संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से निम्न अनुरोध किये गये थे:-

(i) मेला कार्यालय/आई.सी.सी.सी./पुलिस कार्यालय के भवन, जो सेना की 3723 वर्ग मी0 भूमि पर अवस्थित है, को प्रयागराज मेला प्राधिकरण के पक्ष में टोकन रेण्ट पर लम्बी अवधि के लिए लीज पर दिया जाए।

KMUO

(ii) इसके अतिरिक्त मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के कुशल प्रबन्धन, स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण हेतु सम्पूर्ण भूमि को प्रयागराज मेला प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाए।

4. तत्क्रम में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.11.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि 3723वर्ग मी0 रक्षा भूमि संख्या- GLR 70-C-2 श्रेणी A-2 को प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय, आई.सी.सी.सी. व कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेला हेतु प्रयागराज मेला प्राधिकरण के पक्ष में कतिपय नियम व शर्त के अधीन दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.02.2020 के माध्यम से यह अवगत कराया कि रक्षा नीति दिनांक 11.03.2015 व दिनांक 02.02.2016 के अनुसार विस्तृत प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर भेजा जाए। रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 27.11.2020 के माध्यम से यह अपेक्षा की गयी है कि सेना की भूमि को टोकन लीज पर प्रयागराज मेला प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरित करने सम्बन्धी नीति दिनांक 02.02.2016 के प्रकाश में प्रस्ताव भेजा जाए।

5. मेला क्षेत्र के उपयोग में आने वाली रक्षा विभाग की 489.482 एकड़ भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में रक्षा विभाग की नीति दिनांक 02.02.2016 की विभिन्न विधिया तथा उनके संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:-

- भूमि का स्थायी हस्तांतरण-:

(a) Equal Value Land - जिला प्रशासन के पास इतने क्षेत्रफल की भूमि विनिमय हेतु उपलब्ध नहीं है।

(b) Equal Value Infrastructure - उपरोक्त भूमि के मूल्यांकन के बराबर Infrastructure भी उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

(c) Transfer of land on lease- वार्षिक रेण्ट का आगणन STR अथवा Circle Rate के आधार पर भूमि के मूल्य का 2.5 प्रतिशत होगा। यह धनराशि भी अत्यधिक आएगी।

(d) Permission to Use Land on License Basis- For Projects aimed at providing service or utility at large executed by the Central Government or a State Government or by Organization/bodies on Annual License fee varying from Rs. 1/- to Rs. 1000/- Per sq. meter

लीज अवधि 5 वर्ष व उससे कम की स्थिति में वार्षिक रेण्ट का 5 गुना तथा लीज अवधि 5 से 30 वर्ष की स्थिति में वार्षिक रेण्ट का 20 गुना अथवा वार्षिक रेण्ट गुना लीज वर्षो की संख्या, जो भी न्यून हो।

6. मण्डलायुक्त प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त तथ्यों के क्रम में रक्षा भूमि के हस्तान्तरण के संबंध में निम्नवत् सहमति बनी:-

(i) मेला के आयोजन हेतु रक्षा विभाग के स्वामित्व वाली भूमि को प्रत्येक वर्ष कतिपय शर्तों के अधीन लिया जाता रहा है। उसी प्रकार भविष्य में भी रक्षा विभाग की भूमि का उपयोग किया जाना उचित पाया गया।

(ii) रक्षा विभाग की भूमि पर सतत (Sustainable) एवं सामान्य जनहित (Common Interest) की अवस्थापना सुविधाओं (यथा-सड़क, सीवर, पेयजल व्यवस्था)के विकास हेतु विस्तृत रोडमैप तैयार कराया जाय। तद्नुसार रक्षा विभाग की सहमति से केवल उतनी ही खाली पड़ी भूमि के समुचित उपयोग के संबंध में प्रस्ताव किया जाय, जितने पर स्थायी जनसुविधाए व प्रशासनिक संरचनाएं स्थापित करने की अपरिहार्यता साबित होती हो।

(iii) मेला क्षेत्र के उपयोग में आने वाली रक्षा विभाग की 489.482 एकड़ भूमि को प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्राधिकरण को स्थायी रूप से हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया, क्योंकि उक्त हस्तान्तरित भूमि पर अतिक्रमण एवं अन्य गतिविधिया होने की सम्भावना बढ़ जायेगी, जिनका प्रबन्धन आसान नहीं होगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

अमृत अभिजात
प्रमुख सचिव।

KMUO

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या: 2098/नौ-1-2022-90सा/20
लखनऊ: दिनांक 22 जून,2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
5. जिलाधिकारी प्रयागराज।
6. मेलाधिकारी, माघ मेला, प्रयागराज।
7. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद)
अनु सचिव।

KMUO